न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./50/2020/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
मठारखां पुत्र हसनखां जाति मुसलमान निवासी सुजाणियों की ढाणी(कसुंबला भाटियान) तहसील गिडा जिला बाड़मेर	बनाम	1.स्व.सुभानखां पुत्र इमामखां का.मु. 1/1आलमखां पुत्र सुभानखां 1/2समेला पुत्र सुभानखां 1/3काजीखां पुत्र विलालखां 1/4पीराखां पुत्र विलालखां 1/5सलीलखां पुत्र विलालखां 1/6हबीबखां पुत्र विलालखां 1/7दोसूखां पुत्र निजामखां 1/8लाली पत्नी निजामखां 2.खेरदीनखां पुत्र अदरीमखां 3.भीखेखां पुत्र अदरीमखां 4.सबोजखां पुत्र अरदीमखां 5.लाखूखां पुत्र अदरीमखां 6.रहमदखां पुत्र अरदीमखां 7.पीराखां पुत्र हासमखां 8.आदमखां पुत्र सुमरेखां 9.अलारख पुत्र मलेखां 10.स्व.अलीखां पुत्र मलेखां का.मु. 10/1रेहमतखां पुत्र अलीखां 10/2शाकरखां पुत्र अलीखां 10/3हकीमखां पुत्र अलीखां 10/4मु.हलीमा पत्नी अलीखां सर्वे जाति मुसलमान निवासी सुजाणियों की ढाणी (कसूंबला भाटीयान) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 128/1984 बअनवान सुभानखां वगै. बनाम पीराखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20. 11.1984 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री नरपत पूनड़ रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व 1/7 से 03 की ओर से।
3. वकील श्री कैलाश नारायण सारण रेस्पोडेंट संख्या 07 से 10/4 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 19.01.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट तथा उतरदातागण संख्या 07 से 10 व मुतवफी वकूखां पुत्र सुमेरखां की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 72 रकबा 182.02 बीघा अविभाजित ग्राम कसूबला भाटीयान (हाल नवसृजित ग्राम सुजाणियों की ढाणी) तत्कालीन तहसील बाड़मेर हाल तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में आया है। खसरा बंदोबस्त संवत 2010 में अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 07 से 10 के पूर्वज/वालिदान मला, सुमरा पिसरान हमीरा के नाम दर्ज हुआ, खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 में भी मला, सुमार पिसरान हमीरा के नाम से इस आराजी का खाता संख्या 81 संधारित व इसी नाम से पर्चा लगान जारी हुआ तथा उनके देहान्त पश्चात अपीलांट व उतरदाता संख्या 07 से 10 व मुतवफी वकूखां के नाम दर्ज हुआ। उतरदातागण संख्या 01 से 06 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण समस्त विचारण न्यायालय की आदेशिका अनुसार उपस्थित हुए तथा राजीनामा पेश कर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 72 में से रकबा 178.02 बीघा वादीगण का होना स्वीकार किया व शेष रकबा 04.00 बीघा प्रतिवादीगण का होना रखा गया। प्रतिवादीगण का कोई वकील नहीं था, केवल प्रतिवादीगण की पहचान श्री मालाराम वकील ने दी और राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया व मात्र इसी राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को उतरदातागण द्वारा पेश किये गये वाद की कोई जानकारी नहीं है। अपीलाधीन वाद से संबंधित जो कार्यवाही हुई, उस समय अपीलांट अवयस्क था तथा अपनी 14 साल की आयु पूर्ण कर 15 वें वर्ष में प्रवेश हुआ

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन वाद में अपीलंट अवयस्क होने से, उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपीलांट को वाद की कोई जानकारी थी और न उस वाद में अपीलांट के पक्ष की ओर से पैरवी हेतु कोई संरक्षक नियुक्त हुआ। अपीलांट जो मुस्लिम विधि से शासित है, की सम्पति की हिफाजत हेतु अदालती वली की नियुक्ति की कार्यवाही करना वादीगण के लिये बाध्यकारी था परन्तु उन्होंने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये डिक्री प्रदान की। वाद प्रस्तुत करने की तारीख को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 अवयस्क मात्र 14 साल की उम्र पूर्ण कर 15 वें वर्ष में प्रवेश हुआ था, अपीलांट की जन्म तारीख आधार कार्ड अनुसार दिांक 01.01.1970 है एवं अपीलांट के पासपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न है। अतः सि.प्र.स. के आदेश 32 नियम 3 की पालना में वाद दायर करने के साथ अवयस्क प्रतिवादी का अदालती संरक्षक नियुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। बिना संरक्षक नियुक्त किये वाद न तो पोषणीय था और न विचारण काबिल था। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री केवल वादीगण के कथन को ही आधार मानकर पारित की है जबकि न्याय दृष्टांतों की एक लम्बी श्रृंखला है जिस अनुसार दस्तावेजात की अनुपस्थिति में डिक्री हेतु मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। भू प्रबंध के प्रारम्भ में जो खसरा बंदोबस्त संवत 2010 में बना, उसमें इस अपीलाधीन आराजी के कदीमी खातेदार मला, सुमार पिसरान हमीर दर्ज है, जो अपीलांट व उतरदाता संख्या 07 से 10 के वालिदान है, जिसे स्वयं वादीगण ने भी वाद में प्रस्तुत राजीनामा के साथ लगाये पक्षकारान के वंश वृक्ष से साबित है। हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण समस्त विचारण न्यायालय की

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

आदेशिका अनुसार उपस्थित हुए तथा राजीनामा पेश कर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 72 में से रकबा 178.02 बीघा वादीगण का होना स्वीकार किया व शेष रकबा 04.00 बीघा प्रतिवादीगण का होना रखा गया। प्रतिवादीगण का कोई वकील नहीं था, केवल प्रतिवादीगण की पहचान श्री गालाराम वकील ने दी और राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया व मात्र इसी राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये व बिना साक्ष्य की प्रमाणिकता के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

RRT 2015(2) Page 1077

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व 1/7 से 03 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने स्वयं को वक्त निर्णय व डिक्री नाबालिग होने का कथन किया है जो उक्त तथ्य भी अपीलांट ने जानबूझकर अपने नाबालिग होने का कथन असत्य किया है जबकि वक्त निर्णय डिक्री सन 1984 को अपीलांट अपने निवास के वोटर लिस्ट अनुरूप बालिग था। ओर वर्ष 1984 को अपीलांट ने मत का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज आयु के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे है जिसमें वक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट बालिग था अपीलांट ने अपील के साथ अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलांट ने अपनी आयु जानबूझकर गलत अंकित करवाई है। अपीलांट ने हस्तगत वाद में निर्णय व डिक्री दिनाक 20.11.1984 में हुऐ राजीनामा की जानकारी नहीं होना

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

कथन किया है जबकि वास्तविकता यह है कि वाद में प्रस्तुत राजीनामा में अपीलांट के बतौर पक्षकार बालिग/व्यस्क की हैसियत से हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है जिससे यह प्रमाणित है कि वक्त राजीनामा अपीलांट ने स्वस्थ मस्तिष्क की हालत में सोच समझकर व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय में दर्ज करवाकर राजीनामा करवाया था। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट ने जो अपील पेश करने से 20 रोज पूर्व अपीलाधीन आराजी पर कब्जे को लेकर विवाद होने का जो कथन किया है वह असत्य व बेबुनियाद है। अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 134/72 रकबा 178.02 बीघा पर उतरदातागण का कब्जा काश्त है व सरकारी योजनाओं के तहत टांके, आवास आदि बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम सम्मन जारी किया जो स्वयं से तामील होकर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांटगण द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 07 से 10/4 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पेश कर हम रेस्पोडेंटस पक्षकारों को धोखे में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को पुनःप्रतिप्रेषित किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि उक्त वाद जब विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ उस समय अपीलांट की आयु 14 साल व कुछ माह थी अर्थात प्रार्थी अवयस्क था, परन्तु बिना किसी को संरक्षक बनाये वाद दर्ज होकर निर्णत हुआ। वाद में राजीनामा पेश होना पाया जाता है परन्तु ऐसा कोई राजीनामा पेश होना प्रार्थी की जानकारी में नहीं है। प्रार्थी अपीलाधीन आराजी पर काश्त करता रहा है, हाल ही में अर्सा 20 रोज पूर्व अपीलाधीन आराजी पर कब्जे को लेकर अपीलांट मय उतरदाता संख्या 07 से 10 और उतरदाता संख्या 1 से 6 के मध्य विवाद पैदा हुआ और उस विवाद में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के तथ्य की जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट ने उसकी नकले मंगाई जो दिनांक 28.07.2021 को प्राप्त हुई तथा अपने वकील से अपीलाधीन निर्णय को समझा तब उसके विरूद्ध यह अपील दायर करने की आवश्यकता हुई। अपीलांट की अपील में विधि एवं न्याय का सारभूत प्रश्न है एवं न्याय का मत है कि जब परिसीमा के तकनीकी विचार के मुकाबले न्याय का सारभूत प्रश्न दफन होता हो तो सारभूत न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और अपील को गुणावगुण पर विनिश्चित की जानी चाहिये। अपीलांट को अपील पेश करने में हुऐ सदभाविक विलम्ब को माफ कर अपीलांट की अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमाया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

SPECIAL LEAVE PETITION NO. 2492/2021(SC)
DNJ 2020(Rev.) Page 155
RRT 2008(2) Page 1406
RRT 2014(2) Page 1420
RRD 1998 Page 319

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि हस्तगत अपील अपीलांट मठार द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.1984 के विरूद्ध लगभग 37 वर्ष पश्चात पेश की है जिसमें

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपील पेश करने से एक माह पूर्व होना कथन किया है जबकि अपीलांट ने न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त हस्तगत अपील पेश की है क्योंकि वक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलांट मठार बालिग था जिसके नाम की निर्वाचन नामावली की प्रति पेश की गई, जिसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का संपूर्ण ज्ञान था ओर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा में स्वयं अपीलांट ने उपस्थित होकर अपने अंगुष्ठ निशान अंकित किये थे जिसे सहायक जिलाधीश महोदय स्वयं द्वारा तस्दीक किया गया है। आज से लगभग 03 वर्ष पूर्व स्वयं अपीलांट ने अपने अन्य भाईयों के साथ मिल कर अपीलाधीन आदेश के अनुसार उसके हिस्से में आई भूमि की नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी वायतु के न्यायालय में पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 24.05.2018 को हुआ था, जिससे भी यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के तहत अपने हिस्से में आई भूमि की जानकारी थी। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में जरिये राजीनामा के पारित की गई है फिर भी अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2018(3)(Raj.) Page 930
RRT 2021(2) Page 851
RRT 2018-19(Supp.) Page 72

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

RRT 2021(1) Page 58
DNJ 2011(CC) Page 95
DNJ 2011(CC) Page 98
RRT 2014(1) Page 154

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **जारी सम्मन पर अपीलांट स्वयं से तामील होना प्रतिवेदित है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में राजीनामा के अनुसार पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 37 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि न्यायालय द्वारा मैरिट पर बहस सुनने के कारण मैरिट पर निर्णय पारित करना भी न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जो सम्मन जारी किये उसमें अपीलांट स्वयं से सम्यक रूप से तामील करवाई गई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन की परत से प्रतिवेदित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में राजीनामा के अनुसार पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पेश होने पर मुताबिक राजीनामा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें अपीलांट मठार का अंगुष्ठ निशान किया हुआ है तथा

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट स्वयं मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलांट बालिग था जिसकी मतदाता सूची में सन 1988 में आयु 24 वर्ष बताई गई इससे यह साफ जाहिर है कि वक्त निर्णय अपीलांट बालिग था। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांटगण की अपीले मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 128/1984 बअनवान सुभानखां वगै. बनाम पीराखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.1984 को यथावत रखा जाता है।

19/1/2022

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/1/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
मठारखां पुत्र हसनखां जाति मुसलमान निवासी सुजाणियों की ढाणी(कसुंबला भाटियान) तहसील गिडा जिला बाड़मेर	बनाम	1.स्व.सुभानखां पुत्र इमामखां का.मु. 1/1आलमखां पुत्र सुभानखां 1/2समेला पुत्र सुभानखां 1/3काजीखां पुत्र विलालखां 1/4पीराखां पुत्र विलालखां 1/5सलीलखां पुत्र विलालखां 1/6हबीबखां पुत्र विलालखां 1/7दोसूखां पुत्र निजामखां 1/8लाली पत्नी निजामखां 2.खेरदीनखां पुत्र अदरीमखां 3.भीखेखां पुत्र अदरीमखां 4.सबोजखां पुत्र अरदीमखां 5.लाखूखां पुत्र अदरीमखां 6.रहमदखां पुत्र अरदीमखां 7.पीराखां पुत्र हासमखां 8.आदमखां पुत्र सुमरेखां 9.अलारख पुत्र मलेखां 10.स्व.अलीखां पुत्र मलेखां का.मु. 10/1रेहमतखां पुत्र अलीखां 10/2शाकरखां पुत्र अलीखां 10/3हकीमखां पुत्र अलीखां 10/4मु.हलीमा पत्नी अलीखां सर्व जाति मुसलमान निवासी सुजाणियों की ढाणी (कसूंबला भाटीयान) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 128/1984 बअनवान सुभानखां वगै. बनाम पीराखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.1984 के विरूद्ध पेश हुई।

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 19 जनवरी 2022 बहाजरी अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी अपीलांटगण की तरफ से एवं श्री नरपत पूनड रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व 1/7 से 03 की ओर से, श्री कैलाश एन नारायण रेस्पोडेंट संख्या 07 से 10/4 की ओर से तरफ से उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपीलांटगण की अपीले मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 128/1984 बअनवान सुभानखां वगै. बनाम पीराखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.1984 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिग -/------) रूपये -------------/-- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का --------/-- अदा करें।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वसव्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा बतारीख 19 जनवरी 2022 को जारी किया गया।

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराय हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर